झारखण्ड सरकार

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।

सं०–960/छात्रवृत्ति(पोस्ट मैट्रिक)–04/2020

प्रेषक,

अजय नाथ झा, भा.प्र.से

सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

उप निदेशक,

आदिवासी कल्याण आयुक्त कार्यालय,

झारखण्ड।

राँची, दिनांक– 27 मार्च 2022

विषयः–e-Kalyan पोर्टल पर पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन एवं सत्यापन के लिए अवधि विस्तार के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक e-Kalyan पोर्टल पर पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन एवं सत्यापन के लिए निम्न रूप से अवधि विस्तार की जाती है:–

1. झारखंड राज्य एवं राज्य के बाहर मान्यता प्राप्त संस्थाओं में पोस्ट मैट्रिक अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को पोस्ट शैक्षणिक सत्र 2021–22 छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन 30 मार्च 2022 तक e-Kalyan पोर्टल पर कर सकेंगे।
2. झारखंड राज्य एवं राज्य के बाहर मान्यता प्राप्त बी.एड.महाविद्यालयों के शैक्षणिक सत्र 2020–22 (2021 में नामांकन सहित) अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को पोस्ट शैक्षणिक सत्र 2020–21 एवं सत्र 2021–22 के लिए छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन 30 मार्च 2022 तक e-Kalyan पोर्टल पर कर सकेंगे।
3. संबंधित शैक्षणिक संस्थानों के लिए प्राप्त आवेदनों को 31 मार्च 2022 तक सत्यापन की अंतिम तिथि निर्धारित की जाती है।

इसका विज्ञापन सहित व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित करना चाहेंगे।

विश्वासभाजन,

27/3/22

(अजय नाथ झा)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–**960**/छात्रवृत्ति(प्री एवं पोस्ट मैट्रिक)–04/2020, राँची, दिनांक– **27 मार्च 2022**

प्रतिलिपिः– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सभी परियोजना निदेशक, आई०टी०डी०ए०/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/3/22

सरकार के अपर सचिव